

आदेश की
क्रम सं० और
तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
वाद सं०-

आदेश का
गई कायदा
द्वारे
से

19-6-20 कोरोना वायरस के कारण न्यायालयों को बंद रखा गया।
दिनांक 22-8-20 को शुरू।

22-8-20 COVID-19 के कारण लॉक डाउन दिनांक 18-9-20 को शुरू।

18-9-20 उभय पक्ष अनुपस्थित / समाप्त अन्यथा व्यक्त। दिनांक 14.2.20
को शुरू।

14.12-20 उभय पक्ष अनुपस्थित / समाप्त अन्यथा व्यक्त /
दिनांक 01-03-21 को शुरू।

1-3-21 उभय पक्ष उपस्थित / दिनांक 28-12-18 को अंतिम अवसर
देने के बाद भी अपीलकर्ता 2 वर्षों से लगातार अनुपस्थित
हैं। वाद में उनकी अगिलुचि के अभाव में वाद की कार्यवाही
समाप्त की जाती है।


समाप्त

2